

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपील की क्षेत्राधिकार
विविध आवेदन डायरी संख्या 21994 वर्ष 2022 में
सिविल अपील संख्या 8625-8626 वर्ष 2019

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य

...अपीलकर्तागण

बनाम

अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड एवं अन्य

...प्रतिवादी गण/आवेदकगण

हेडनोट्स

भारत का संविधान – सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 – सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 –
न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया – इसे स्थिरता योग्य नहीं माना और आवेदक पर
सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति को भुगतान किए जाने वाले ₹50000 का जुर्माना
लगाया – कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता के मद्देनजर आवेदन को वापस लेने
की अनुमति नहीं दी गई ।

निर्णय

न्यायाधिपति अनिरुद्ध बोस,

आवेदक, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल), विद्युत अधिनियम, 2003
("2003 अधिनियम") की धारा 2(28) के अनुसार एक विद्युत उत्पादक कंपनी है। यह राजस्थान
राज्य में एक ताप विद्युत संयंत्र संचालित करती है। अपीलों के मुख्य सेट में तीन अपीलकर्ता (1 से 3)
थे, जिनके संबंध में वर्तमान आवेदन लिया गया है, जो 2003 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

राजस्थान राज्य के वितरण लाइसेंसधारी हैं। उन्हें, इस निर्णय में अब से, सामूहिक रूप से "राजस्थान डिस्कॉम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड अपीलों के मुख्य सेट में चौथा अपीलकर्ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त तीन डिस्कॉम के बीच समन्वय के उद्देश्य से बनाया गया था, साथ ही राज्य के अन्य वितरण लाइसेंसधारियों के बीच भी।

2. इस विविध आवेदन के माध्यम से, आवेदक राजस्थान डिस्कॉम को विलंब भुगतान अधिभार ("एलपीएस") के लिए 1376.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए निर्देश चाहता है। आवेदक द्वारा यह दावा राजस्थान डिस्कॉम और आवेदक के बीच दिनांक 28.01.2010 ("पीपीए-2010") के विद्युत क्रय समझौते के अनुच्छेद 8.3.5 का हवाला देते हुए उठाया गया है। वर्तमान आवेदन को उक्त अपीलों में "प्रतिवादी संख्या 1/आवेदक (अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड) की ओर से निर्देश के लिए आवेदन" शीर्षक दिया गया है, जिसका निपटारा इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 31.08.2020 को दिए गए सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था। राजस्थान डिस्कॉम द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध दायर समीक्षा याचिकाएँ 02.03.2021 को खारिज कर दी गईं।

3. यह अपीलें पी.पी.ए.-2010 के अनुसार आवेदक द्वारा दावा किए गए कुछ अतिरिक्त भुगतानों से संबंधित विवाद से उत्पन्न हुई हैं। समझौते के तहत, आवेदक को राजस्थान डिस्कॉम को बिजली की आपूर्ति करनी थी, जिसे आवेदक द्वारा ही उत्पन्न किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए, पी.पी.ए.-2010 ने घरेलू कोयले को ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में निर्धारित किया, जबकि आयातित कोयले को पूर्तिकर विकल्प के रूप में उपयोग किया जाना था। आवेदक की शिकायत थी कि पर्याप्त घरेलू कोयले की अनुपलब्धता के कारण, उसे भारत सरकार द्वारा घरेलू कोयला शृंखला आवंटित नहीं किया जा सका और उसे इंडोनेशिया से आयातित कोयले पर निर्भर रहना पड़ा, जिसकी लागत अधिक थी। घरेलू कोयले की आपूर्ति न होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवेदक ने पी.पी.ए.-2010 के कानून में परिवर्तन खंड का हवाला देते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ("आरईआरसी") के समक्ष दावा किया था। कानून में बदलाव पीपीए-2010 के तहत शर्तों में से एक था, जिसके लिए उपरोक्त समझौते में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके बिजली के विक्रेता द्वारा दर सूची समायोजन भुगतान किया जा सकता था। 17.05.2018 के एक आदेश द्वारा, आरईआरसी ने माना कि आवेदक कानून में बदलाव के कारण राहत का हकदार होगा, जिसे वैकल्पिक/आयातित कोयले की वास्तविक उतराई लागत (जैसा कि लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है) और घरेलू शृंखला कोयले की वास्तविक उतराई लागत के बीच का अंतर माना गया था। आवेदक द्वारा लाई गई अवमानना कार्यवाही [अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 877-878/2021] में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 25.02.2022 को पारित आदेश में इसे दर्ज किया गया था। हम इस फैसले में बाद में उक्त कार्यवाही का उल्लेख करेंगे।

4. आवेदक ने आरईआरसी के समक्ष वहन लागत के शीर्ष के तहत अतिरिक्त भुगतान के लिए एक और दावा भी उठाया था, जिसे आरईआरसी ने अस्वीकार कर दिया था। राजस्थान डिस्कॉम, कानून में बदलाव के मुआवजे के अनुदान से व्यथित होने के कारण, और आवेदक, वहन लागत के दावे की अस्वीकृति से व्यथित होने के कारण, विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण ("एपीटीईएल") के समक्ष आरईआरसी के आदेश के खिलाफ अपील की। 14.09.2019 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, एपीटीईएल ने पाया कि "कानून में बदलाव" के आधार पर आवेदक का दावा वैध था और यह राय थी कि आवेदक एक बाद की कोयला आपूर्ति योजना के तहत कानून में बदलाव के कारण उसे हुए

नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार था, जिसे शक्ति योजना कहा जाता था, जो घरेलू कोयला शृंखला प्रदान करने में विफल रही। एपीटीईएल ने आगे पाया कि आवेदक लागू वहन लागत के भुगतान के लिए भी हकदार होगा। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 31.08.2020 के निर्णय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ अपीलों को खारिज कर दिया:

"66. इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि आरईआरसी और एपीटीईएल ने कानून में बदलाव के संबंध में प्रतिवादी के पक्ष में समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं, जिससे हम भी सहमत हैं, अब हम देरी से भुगतान अधिभार के संबंध में अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम की देयता के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। इस संबंध में, पीपीए के निम्नलिखित अनुच्छेद 8.3.5 और 8.8, जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"8.3.5. यदि खरीदार द्वारा मासिक बिल के भुगतान में देय तिथि से अधिक देरी होती है, तो ऐसे खरीदार द्वारा विक्रेता को प्रति वर्ष लागू एसबीएआर से दो प्रतिशत (2%) अधिक की दर से विलंब भुगतान अधिभार देय होगा, जो कि विलंब के प्रत्येक दिन के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर (और मासिक शेष के साथ संयोजित) गणना की गई बकाया भुगतान राशि पर होगा। विलंब भुगतान अधिभार का दावा विक्रेता द्वारा पूरक बिल के माध्यम से किया जाएगा।

8.8 अनुपूरक बिल का भुगतान

8.8.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर निम्नलिखित के कारण भुगतान के लिए बिल (अनुपूरक बिल) पेश कर सकता है:

- i) क्षेत्रीय ऊर्जा खाते द्वारा आवश्यक समायोजन (यदि लागू हो):
- ii) अनुसूची 4 में प्रावधानों के अनुसार मापदंडों में परिवर्तन के लिए टैरिफ भुगतान; या
- iii) अनुच्छेद 10 में दिए गए कानून में परिवर्तन, और ऐसे अनुपूरक बिल का भुगतान दूसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा।

8.8.2 क्रेता विक्रेता द्वारा उठाए गए पूरक बिल के तहत देय सभी राशियों को विक्रेता के नामित खाते में नियत तारीख तक भेज देंगे और उसी दिन विक्रेता को ऐसे प्रेषण की सूचना देंगे या विक्रेता क्रेडिट पत्र के माध्यम से ऐसी राशि निकालने के लिए पात्र होगा। इसी तरह, विक्रेता क्रेताओं द्वारा उठाए गए पूरक बिल के तहत देय सभी राशियों का भुगतान संबंधित क्रेता के नामित बैंक खाते में नियत तारीख तक करेगा और उसी दिन ऐसे भुगतान की सूचना क्रेताओं को देगा। क्रेताओं द्वारा ऐसे भुगतानों के लिए, अनुच्छेद 8.3.6 के अनुसार मासिक बिलों पर लागू छूट समान रूप से लागू होगी।

8.8.3 किसी भी पक्ष द्वारा अनुपूरक बिल के भुगतान में देय तिथि के बाद देरी होने की स्थिति में, अनुच्छेद 8.3.5 में मासिक बिल पर लागू समान शर्तों पर विलंब भुगतान अधिभार देय होगा।

8.9 इस अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार भेजे जाने वाले सभी नोटिसों/प्रस्तावों की प्रतियां एक पक्ष द्वारा सभी पक्षों को एक साथ भेजी जाएंगी।"

अपीलकर्ताओं पर लगाया गया विलम्ब भुगतान अधिभार का दायित्व बकाया भुगतान की राशि पर प्रति वर्ष लागू एसबीएआर से 2% अधिक की दर से है, जिसकी गणना प्रतिदिन के आधार पर की जाती है (तथा विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए मासिक शेष के साथ संयोजित की जाती है)। अतः अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम्स पर विलम्ब भुगतान अधिभार के भुगतान की भारी देयता होगी।

67. ब्याज/देरी से भुगतान पर अधिभार के प्रश्न के संबंध में, हम देखते हैं कि कानून में परिवर्तन की दलील सबसे पहले वर्ष 2013 में एपीआरएल द्वारा उठाई गई थी। एपीआरएल द्वारा वर्ष 2013 में ही इस आधार पर अपना दावा उठाते हुए एक मामला भी दायर किया गया था। हालांकि, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम्स ने कानून में परिवर्तन के संबंध में दावे को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण एपीआरएल को वर्ष 2013 में कानून में परिवर्तन की तिथि से बिल जारी करने से वंचित कर दिया गया। इस प्रकार, हमारा मत है कि इस मामले के तथ्यों की समग्रता पर विचार करते हुए और पूर्ण न्याय करने तथा अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम्स की देयता को कम करने के लिए, लागू एसबीएआर से 2 प्रतिशत अधिक का भुगतान प्रति वर्ष मासिक शेष के साथ अधिक होगा। हमारी राय में, अपीलकर्ताओं-राजस्थान डिस्कॉम्स को प्रासंगिक वर्षों के लिए लागू एसबीएआर के अनुसार ब्याज/देरी से भुगतान अधिभार का भुगतान करने का निर्देश देना उचित होगा, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि मासिक ब्याज के स्थान पर ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाएगा।

68. हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि ब्याज/देरी से भुगतान अधिभार की दर एसबीएआर पर होगी, जो प्रति वर्ष 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जिसे सालाना चक्रवृद्धि किया जाएगा, और एसबीएआर से 2 प्रतिशत अधिक (जैसा कि पीपीए के अनुच्छेद 8.3.5 में प्रावधान किया गया है) वर्तमान मामले में नहीं लिया जाएगा।

69. मामले से अलग होने से पहले, हम देख सकते हैं कि श्री प्रशांत भूषण ने अधिक चालान के संबंध में दलीलें उठाई हैं। उन्होंने डीआरआई के समक्ष लंबित जांच की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने दलील दी है कि कोयला के 40 आयातक कथित अधिक चालान के संबंध में डीआरआई की जांच के दायरे में हैं। अनुरोध पत्र जारी किया गया था। हालांकि, वकील ने माना कि अब तक की जांच में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। इस प्रकार, हमारा मत है कि जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा चालान के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिक चालान बनाना है। हमने मामले की जांच बहुत सावधानी से गुण-दोष के आधार पर की है,

और हमने पाया है कि आरईआरसी और एपीटीईएल द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस पहलू के संबंध में कि बोली घरेलू कोयले पर आधारित थी, हम पाते हैं कि दर्ज किए गए निष्कर्ष किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।

5. आवेदक ने उक्त निर्णय और आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना कार्यवाही दायर की थी, जिसे अवमानना याचिका (सी) संख्या 877-878/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया था। हम पहले ही इस कार्यवाही का उल्लेख कर चुके हैं। अवमानना कार्यवाही में, आवेदक की स्थिति उसके विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण में परिलक्षित होती है, जो 25.02.2022 को पारित आदेश के पैराग्राफ 6 में दर्ज है (हममें से एक, न्यायाधिपति अनिरुद्ध बोस,, इस आदेश के पक्षकार थे)। उस आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया है कि एकमात्र विवाद जिसे आरईआरसी, एपीटीईएल और इस न्यायालय द्वारा हल किया जाना था, वह "कानून में परिवर्तन" के कारण देय भुगतान के संबंध में था, जिसे लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित वैकल्पिक कोयला/आयातित कोयले की वास्तविक उतराई लागत में से घरेलू शृंखला कोयले की उतराई लागत घटाकर माना गया था। ऐसा कोई अन्य विवाद नहीं था जिसे इस न्यायालय द्वारा हल किया जाना था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अब प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा कुछ भुगतान किए गए हैं, जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, घरेलू शृंखला कोयले के आधार पर नियमित भुगतान के लिए थे और कुछ नहीं। चूंकि, याचिकाकर्ता के "कानून में परिवर्तन" के आधार को सभी प्राधिकारियों अर्थात् आरईआरसी, एपीटीईएल और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इस न्यायालय के समक्ष दायर समीक्षा याचिका को खारिज करके भी इसकी पुष्टि की गई है, इसलिए इस स्तर पर अब इस प्रश्न को फिर से नहीं खोला जा सकता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक कोयला/आयातित कोयले की वास्तविक उतराई लागत लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित, जिस पर प्रतिवादियों द्वारा विवाद नहीं किया गया है, भुगतान, जैसा कि दावा किया गया है, किया जाना चाहिए था और चूंकि इसका भुगतान नहीं किया गया है, प्रतिवादी अवमानना के लिए उत्तरदायी हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का आगे का तर्क यह है कि प्रतिवादियों का दावा है कि उन्होंने ऊर्जा शुल्क के लिए नियमित रूप से महीने दर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान किया था, जिसमें वैकल्पिक कोयला/आयातित कोयला शुल्क की कीमत की एक निश्चित राशि शामिल थी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस स्तर पर यानी वर्ष 2013 में, प्रतिवादियों ने "कानून में बदलाव" के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार नहीं किया था, और अब प्रतिवादियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने "कानून में बदलाव" सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार करने के बाद एक निश्चित राशि का भुगतान किया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मुद्दा प्रतिवादियों द्वारा पहले किसी भी कार्यवाही में कभी

नहीं उठाया गया था, क्योंकि प्रतिवादियों ने वास्तव में पूरे समय यह प्रतिवाद किया था कि याचिकाकर्ता "कानून में बदलाव" लाभ का हकदार नहीं है।"

6. तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का पालन न करने के आरोपों पर समन्वय पीठ ने 25.02.2022 को पारित उपरोक्त आदेश में विचार किया। उक्त आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया और निर्देश दिया गया:-

"9. सबसे पहले, हमें केवल "कानून में परिवर्तन" के प्रभाव पर विचार करना है, जो आरईआरसी, एपीआईईएल और इस न्यायालय के अनुसार वैकल्पिक कोयला/आयातित कोयले की वास्तविक उतराई लागत में से घरेलू शृंखला कोयले की उतराई लागत को घटाकर होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिवादियों के किसी भी दावे का सवाल हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं है। आरईआरसी द्वारा निर्धारित सिद्धांत और इस न्यायालय तक पुष्टि किए गए सिद्धांत के अनुसार, याचिकाकर्ता ने मार्च, 2021 तक 5344.75 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया है। उक्त सिद्धांत की पुष्टि एपीटीईएल के साथ-साथ इस न्यायालय और यहां तक कि समीक्षा याचिका में भी की गई है, जिसे अब फिर से नहीं खोला जा सकता है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि मार्च, 2021 के बाद भी याचिकाकर्ता उसी गणना के आधार पर भुगतान का हकदार होगा, जो नवंबर, 2021 तक 130.69 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, नवंबर 2021 तक देय राशि 5344.75 रुपये + 130.69 रुपये = 5475.44 करोड़ होगी। 5475.44 करोड़ की इस राशि में से याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसार 2426.81 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, शेष 3048.63 करोड़ रुपये की राशि नवंबर, 2021 तक चुकाई जानी बाकी है। इस न्यायालय द्वारा 31.08.2020 के अपने निर्णय और आदेश के अनुसार अधिकतम 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज उक्त राशि पर देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक लागू किया जाना है। याचिकाकर्ता के अनुसार, विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का दावा, जो 2477.70 करोड़ रुपये है, एक विषय-वस्तु होगी, जिसके बारे में याचिकाकर्ता, यदि उसे सलाह दी जाती है, तो उचित फोरम के समक्ष दावा कर सकता है, क्योंकि वर्तमान कार्यवाही में यह प्रश्नगत विषय नहीं है, जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं।

10. इस प्रकार, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि प्रतिवादी इस न्यायालय के दिनांक 31.08.2020 के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, हम प्रतिवादियों को निर्देश देते हैं कि वे याचिकाकर्ता को मूल राशि (इस न्यायालय के दिनांक 31.08.2020 के निर्णय में निर्धारित शर्तों/मानदंडों के अनुसार) में से दिनांक 29.10.2018 के अंतरिम आदेश के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा जमा की गई 2426.81 करोड़ रुपये की राशि घटाकर (जो कि याचिकाकर्ता के अनुसार, शेष देय राशि 3048.63 करोड़

रुपये होगी) संबंधित वर्षों के लिए लागू एसबीएआर के अनुसार ब्याज सहित, जो कि 9% प्रति वर्ष (वार्षिक रूप से संयोजित) से अधिक नहीं होनी चाहिए, राशि देय होने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक, आज से चार सप्ताह के भीतर भुगतान करें, ऐसा न करने पर प्रतिवादी अगली तिथि को व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों, ताकि यह न्यायालय आरोप तय करने में सक्षम हो सके।”

7. अवमानना याचिकाओं को बाद में इस न्यायालय की एक अन्य समन्वय पीठ द्वारा बंद करने का निर्देश दिया गया और इस आशय का आदेश 19.04.2022 को पारित किया गया। इस आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखा गया:-

“पहले प्रश्न के संबंध में केवल यह देखा जा सकता है कि इन अवमानना याचिकाओं में पारित दिनांक 25.02.2022 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 9 में, निम्नानुसार देखा है:

“याचिकाकर्ता के अनुसार, विलंब भुगतान अधिभार का आगे का दावा, जो 2477.70 करोड़ रुपये है, एक विषय वस्तु होगी, जिसे याचिकाकर्ता, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो उचित मंच के समक्ष दावा कर सकता है, क्योंकि यह वर्तमान कार्यवाही में प्रश्नगत विषय नहीं है, जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश भी जारी नहीं किया गया है।”

इस प्रकार, चूंकि प्रतिवादीगण के अनुसार किया गया भुगतान केवल मूल राशि और 9% वार्षिक ब्याज के रूप में है, इसलिए हम आगे कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले ही विलंबित भुगतान अधिभार के प्रश्न को खुला छोड़ दिया है, जिसे याचिकाकर्ता, यदि ऐसी सलाह देता है, तो उचित मंच के समक्ष दावा कर सकता है। प्रतिवादियों द्वारा नवंबर, 2021 के बाद 31.08.2020 के निर्णय और आदेश के कथित गैर-अनुपालन के दूसरे प्रश्न के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस संबंध में न तो हमारे पास कोई सामग्री है और न ही जब अवमानना याचिकाएं दायर की गई थीं, तब यह प्रश्न विचाराधीन था। इस प्रकार, हम इस प्रश्न को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए जाने के लिए खुला छोड़ते हैं, यदि ऐसा सलाह दी जाती है। प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए अंतिम मुद्दे के संबंध में, जो इस आशय का है कि 31.08.2020 के निर्णय के बाहर याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान उपयोगिताएँ के दावे को अनुमति दी जानी चाहिए, हम केवल यह देखना चाहेंगे कि यह अवमानना याचिका में विचार करने योग्य मामला नहीं हो सकता है और इस तरह न तो हम ऐसी कोई राहत देने के लिए इच्छुक हैं और न ही उन्हें ऐसा कोई मुद्दा उठाने से रोकते हैं, यदि प्रतिवादियों को सलाह दी जाती है और कानून के तहत हकदार पाया जाता है। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, हम इन अवमानना याचिकाओं को बंद करते हैं।

8. 19.07.2022 को वर्तमान आवेदन पेश किए जाने के बाद, इस पर समय-समय पर सुनवाई हुई और अंततः 24.01.2024 को, जब इस मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया, आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने आवेदन वापस लेने की अनुमति मांगी। हालांकि, राजस्थान डिस्कॉम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत दवे ने इस तरह की प्रार्थना का विरोध किया और उनका कहना था कि वर्तमान आवेदन, एक अपील में लिया गया है जिसका निपटारा हो चुका है, इसलिए यह झूठ नहीं है और इसे इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि यह संधारणीय नहीं है। श्री दवे ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के पैराग्राफ 67 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। एलपीएस के मुद्दे पर तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त अंश में विचार किया है।

9. सुनवाई के दौरान, इसे स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन के रूप में पेश किया गया, हालांकि इसे एक विविध आवेदन के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस आवेदन में मांगी गई राहतें किसी स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं करती हैं। हमने इस निर्णय में पहले इस आवेदन में मांगी गई राहतों के सार का उल्लेख किया है।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसरण में बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 ("2013 नियम") के आदेश XII नियम 3 में प्रावधान है:-

“3. इन नियमों के आदेश XLVII में निहित प्रावधानों के अधीन, न्यायालय द्वारा या न्यायालय के बहुमत द्वारा या खुली अदालत में असहमति जताने वाले न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय को बाद में परिवर्तित या उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, सिवाय किसी लिपिकीय या अंकगणितीय गलती या किसी आकस्मिक चूक से उत्पन्न त्रुटि को सुधारने के उद्देश्य के।”

हालांकि, 2013 के नियमों में दो अध्याय हैं जो इस न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा की अनुमति देते हैं, ये आदेश XLVII और XLVIII हैं। 2013 के नियमों के भाग IV में शामिल पहला आदेश “निर्णय की समीक्षा” से संबंधित है और दूसरा “उपचारात्मक याचिका” से संबंधित है। 2013 के नियमों में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है, जिसके तहत कोई वादी किसी मामले में इस न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है जो अंतिम रूप से समाप्त हो चुका है। दुर्लभ अवसरों पर, कोई वादी किसी आदेश के स्पष्टीकरण के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, लेकिन हम किसी भी निर्णय या आदेश से इस तरह के चरित्र की अपेक्षा नहीं करते हैं। जहां तक आवेदक का संबंध है, उसने तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया। न ही आवेदक द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में, इस न्यायालय ने पाया कि एलपीएस के प्रश्न पर तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा का कोई मामला नहीं बनाया गया था। यह इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिकाओं में पारित आदेशों से स्पष्ट होगा, जिन्हें इस निर्णय में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में पहले ही एलपीएस के प्रश्न की जांच की जा चुकी है और विविध आवेदन लेकर आवेदक उन राहतों की मांग नहीं कर सकता है, जो मुख्य निर्णय में ही प्रदान नहीं की गई थीं।

11. घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [एम.ए. नंबर 1166/2021 सीए नंबर 8129/2019 में] के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 17 अगस्त 2022 को दिए गए अपने फैसले में कहा

“4. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने और रिकॉर्ड पर रखी गई प्रासंगिक सामग्रियों का अवलोकन करने के बाद, हम इस विचार पर पहुंचे हैं कि वर्तमान आवेदन और कुछ नहीं, बल्कि विविध आवेदन की आड़ में 13 अप्रैल 2021 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की समीक्षा करने का एक प्रयास है।”

5. हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में संशोधन या स्पष्टीकरण की मांग करते हुए आवेदन दायर करके अप्रत्यक्ष रूप से इस न्यायालय के आदेशों की समीक्षा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 6. हमारे विचार में, इस तरह के आवेदन कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग हैं। न्यायालय का बहुमूल्य समय ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने में व्यतीत होता है, जो अन्यथा उन वादियों के मुकदमों में भाग लेने में उपयोग किया जा सकता है जो दशकों से न्याय के गलियारों में प्रतीक्षा कर रहे हैं। (जोर दिया गया)

12. इसके बाद सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड कोर्ट ऑनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य [(2023) 10 एससीसी 817] के मामले में इस न्यायालय के फैसले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने “स्पष्टीकरण, संशोधन या वापस बुलाने के लिए” विविध आवेदनों की स्थिरता की जांच की और उस मामले के संदर्भ में निम्नलिखित पर गौर किया:—

“12. वर्तमान विविध आवेदन में स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के निर्णय में मूलभूत संशोधन की मांग की गई है। विविध आवेदन में ऐसा प्रयास स्वीकार्य नहीं है। जबकि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश LV नियम 6 के प्रावधानों पर भरोसा किया है, इसमें जो विचार किया गया है वह न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना है ताकि न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश दिए जा सकें। सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII में समीक्षा के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए आदेश LV नियम 6 को उलटा नहीं किया जा सकता। विविध आवेदन प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”

समन्वय पीठ द्वारा उक्त निर्णय में जिन प्राधिकारियों का हवाला दिया गया है, वे हैं राज्य (केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली) बनाम गुरदीप सिंह उबान एवं अन्य [(2000) 7 एससीसी 296], सोने लाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1982) 2 एससीसी 398], राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी एवं अन्य [(2004) 12 एससीसी 713], कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य [(2004) 5 एससीसी 222], जाहिरा हबीबुल्लाह शेख एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [(2004) 5 एससीसी 353], पी.एन. ईश्वर अय्यर एवं अन्य बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय [(1980) 4 एससीसी 680], सुथेंद्रराजा उर्फ सुथेंथिरा राजा उर्फ संधन और अन्य – बनाम – डीएसपी/सीबीआई, एसआईटी, चेन्नई के माध्यम से राज्य [(1999) 9 एससीसी 323], रामदेव चौहान उर्फ राज नाथ – बनाम – असम राज्य [(2001) 5 एससीसी 714], देवेंद्र पाल सिंह – बनाम – राज्य (एनसीटी दिल्ली) और अन्य [(2003) 2 एससीसी 501] और राशिद खान पठान के खिलाफ, [(2021) 12 एससीसी 64]। ये अधिकारी मोटे तौर पर यह निर्धारित करते हैं कि इस न्यायालय के निर्णय को फिर से खोलने

के कई प्रयासों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, हम इन प्राधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।

13. 2013 नियमों के आदेश LV के नियम 6 में प्रावधान है: –

“6. इन नियमों में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता हो, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए हो।”

वर्तमान आवेदन की स्वीकार्यता को इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का हवाला देकर भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आवेदक ने मुख्य निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है। अवमानना कार्यवाही में, यह एलपीएस का भुगतान न करने के कारण मुख्य निर्णय और आदेश की किसी भी जानबूझकर अवज्ञा को स्थापित करने में विफल रहा। अब आवेदक इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति या अधिकार क्षेत्र पर भरोसा करके उसी निर्णय पर अड़चन डालना जारी नहीं रख सकता।

14. आवेदक की ओर से पेश हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सिंघवी ने इस न्यायालय के पांच आदेशों पर भरोसा किया, जिसमें निपटान के बाद के आवेदनों पर विचार किया गया था। पहला आदेश एनर्जी वॉचडॉग बनाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और अन्य [2018 के एमए संख्या 2705-2706 सिविल अपील संख्या 5399-5400 2016 में] के मामले में 29.10.2018 को दिया गया था। उस मामले में, गुजरात राज्य की ओर से पक्षकार बनने के लिए एक आवेदन को उच्च शक्ति समिति की रिपोर्ट के माध्यम से स्वीकार किया गया था, जो निर्णय दिए जाने के बाद दी गई थी। सिविल अपील का निपटान करने वाला निर्णय 11.04.2017 को दिया गया था, लेकिन विविध आवेदन में, आवेदक को बिजली खरीद समझौते में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों की मंजूरी के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें इस न्यायालय ने निर्णय सुनाए जाने के बाद कुछ ऐसी घटनाओं पर विचार किया जो बाद में घटित हुईं और जिनका मुख्य निर्णय पर प्रभाव पड़ा। आदेश को संशोधित करने के लिए बाद की घटनाओं को ध्यान में रखा गया लेकिन निर्णय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया।

15. अगला आदेश, जिस पर डॉ. सिंघवी ने भरोसा किया, 04.05.2023 को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम अडानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड [सिविल अपील संख्या 2908/2022 में एमए (डी) संख्या 18461/2023] के मामले में पारित किया गया था। आदेश का मुख्य भाग इसके पैराग्राफ 2 में निहित है और यह पैराग्राफ पढ़ता है:-

“2. जैसा कि पक्षों के विद्वान वकील द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, सी.ए. संख्या 2908/2022 में पारित दिनांक 20.04.2023 के फैसले के पैराग्राफ 32 में दिखाए गए शब्द “पीपीए में दिए गए विवरण के अनुसार, परिवहन का तरीका रेलवे के माध्यम से है” को “एफएसए में दिए गए विवरण के अनुसार, परिवहन का तरीका रेलवे के माध्यम से है” के रूप में पढ़ा जाएगा।

लेकिन यह आदेश एक ऐसी त्रुटि को सुधारने की प्रकृति का प्रतीत होता है जो लिपिकीय प्रकृति की थी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("संहिता") स्वयं इसकी धारा 152 के तहत इस तरह के सुधार का प्रावधान करती है, साथ ही 2013 नियमों के आदेश XII नियम 3 में भी इस तरह के सुधार का प्रावधान है।

16. डॉ. सिंघवी द्वारा जिस तीसरे आदेश पर भरोसा किया गया, वह 09.12.2022 को कल्पतरु प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड [सिविल अपील संख्या 7050/2022 में एमए संख्या 2064/2022] के मामले में पारित किया गया था। इसमें आवेदक ने यह तर्क देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि जब सिविल अपील का फैसला किया गया तो उसकी बात नहीं सुनी गई। उस मामले में, अपीलकर्ता ने कंपनी अपील (एटी) (दिवालियापन) संख्या 880/2021 में एनसीएलएटी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उक्त अपीलकर्ता ने उक्त अपील में प्रथम प्रतिवादी द्वारा कुछ राशि जमा करने पर अपील वापस लेने की मांग की थी। इस न्यायालय द्वारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया और 26.09.2022 को पारित आदेश द्वारा, एनसीएलएटी के समक्ष लंबित अपील का भी इस न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया। आवेदक एनसीएलएटी के समक्ष एक हस्तक्षेपकर्ता था और उसका कहना था कि एनसीएलएटी के समक्ष अपील में, जिसका निपटारा हो चुका है, उसने एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में एनसीएलएटी के समक्ष कुछ शिकायतें भी उठाई थीं। उसका मामला यह था कि उसे एनसीएलएटी के समक्ष एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में सुनवाई की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए थी। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने उस आवेदन पर विचार किया और कहा: -

"हमारा मानना है कि इस विवाद को एनसीएलएटी द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए, यानी अपील वापस लेने की मांग करने वाले अपीलकर्ताओं पर अपील वापस लेने में कोई बाधा हो सकती है और क्या एनसीएलएटी को वास्तव में किसी हस्तक्षेपकर्ता के कहने पर एनसीएलएटी के आदेश की योग्यता पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम एनसीएलएटी के समक्ष पक्षों की श्रृंखला का विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे मामला न्यायालय के समक्ष आगे बढ़ा है, कई संस्थाएं तस्वीर में कूद पड़ी हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि एनसीएलएटी के समक्ष केवल पक्षकारों/मौजूदा हस्तक्षेपकर्ता को ही सुनवाई का अधिकार होगा।

सिविल अपील संख्या 9062/2022 में पारित आदेशों के मद्देनजर, यह अपील भी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी।

इसके मद्देनजर, जो अंतिम तस्वीर सामने आएगी वह एनसीएलएटी के समक्ष होगी और उस सीमा तक 14.11.2022 को हमारे द्वारा पारित आदेश को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक एनसीएलएटी इस मुद्दे का समाधान नहीं कर देता।

फिर से, यह आदेश आवेदक द्वारा समीक्षा आदेश की प्रकृति का था, जो एनसीएलएटी के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष था। एनसीएलएटी के समक्ष सभी अपीलों का निपटारा उसे सुने बिना ही कर दिया

गया। संदर्भ, उस संदर्भ से पूरी तरह अलग है जिसमें आवेदक ने वर्तमान में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

17. चौथा आदेश जिस पर वर्तमान आवेदक ने भरोसा किया, वह 12.08.2022 को सुपरटेक लिमिटेड बनाम एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य [सिविल अपील संख्या 5041/2021 में एमए संख्या 1918/2021] के मामले में पारित किया गया था। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दो बिल्डिंग टावरों को गिराने के लिए आवेदक द्वारा मांगी गई समयावधि को बढ़ा दिया, जिसे सिविल अपील का निपटारा करते समय न्यायालय ने मंजूरी दी थी। न्यायालय द्वारा वैध आधार पर निर्धारित समयावधि से अधिक समयावधि बढ़ाने की शक्ति संहिता की धारा 148 में शामिल है। यदि कुछ करने के लिए समयावधि बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो पर्याप्त कारण दर्शाए जाने के बाद, उक्त धारा में निर्धारित 30 दिनों की अधिकतम अवधि से आगे जाना इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र में होगा। संहिता की धारा 112 में ही प्रावधान है कि संहिता में निहित कोई भी बात अनुच्छेद 136 या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी। 18. आवेदक द्वारा संदर्भित पांचवां आदेश 23.07.2021 को भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया एवं अन्य [2021 के एमए संख्या 83 में एमए (डी) संख्या 9887/2020 में सिविल अपील संख्या 6328-6399/2015] के मामले में पारित किया गया था। 2015 के सिविल अपील संख्या 6328-6399 में 2020 के एमए (डी) संख्या 9887 में पारित 1 सितंबर 2020 के फैसले की सामग्री में संशोधन के लिए एक विविध आवेदन दायर किया गया था। उक्त कार्यवाही में इस पहलू पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था कि फैसले ने भारत संघ को कुछ बकाया राशि की गणना में लिपिकीय/अंकगणितीय त्रुटियों पर विचार करने और उन्हें सुधारने से नहीं रोका यह भी एक ऐसा आदेश था, जो मूलतः एक अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने की अनुमति देता है, जो संहिता की धारा 152 में निहित है, जिसे 2013 के नियमों के आदेश XII नियम 3 के साथ पढ़ा जाए। 19. हमने इस निर्णय के पहले भाग में संकेत दिया है कि डॉ. सिंघवी ने सुनवाई की अंतिम तिथि, यानी 24.01.2024 को वर्तमान आवेदन वापस लेने की इच्छा व्यक्त की थी। सामान्यतः, हम वर्तमान आवेदन को दाखिल करने की पृष्ठभूमि और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन के क्रम को इस तरह के प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर नहीं बताते। कोई भी वादी, संहिता के आदेश XXIII के नियम 1 में दिए गए अनुसार, वाद दायर करने के बाद किसी भी समय वाद को छोड़ने या वाद में किए गए दावे के भाग को छोड़ने का हकदार होगा। हालाँकि, हमने इस तरह की सरल वापसी की अनुमति नहीं देने का फैसला किया, क्योंकि राजस्थान डिस्कॉम ने लागत लगाने की मांग की थी। दूसरे, हमारी राय में, जो प्रावधान किसी वाद से संबंधित है, वह इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करने वाले विविध आवेदन पर स्वतः लागू नहीं होगा, जो वैधानिक अपीलों के एक सेट में स्थापित किया गया था, जिसका निपटारा हो चुका है। यहां तक कि अगर कोई आवेदक किसी आवेदन को वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो अपवादस्वरूप मामलों में, आवेदन की जांच करना और उचित आदेश पारित करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा। जहां तक वर्तमान कार्यवाही का संबंध है, एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न यह उठा है कि न्यायालय को वैधानिक अपीलों के एक सेट के संबंध में दायर आवेदन पर विचार करने का अधिकार है, जिसका निपटारा हो चुका है। सुपरटेक लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय इस प्रश्न से संबंधित है और हमारी राय में, उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान कार्यवाही पर भी लागू होगा।

20. हमें वर्तमान आवेदन की स्थिरता के बारे में प्रश्न की जांच करना आवश्यक लगा क्योंकि हमारा मानना है कि कानून की स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है कि मामले के निपटारे के बाद इस तरह के निपटान के बाद विविध आवेदनों पर कब विचार किया जा सकता है। यह न्यायालय अब कार्यात्मक न्यायालय बन गया है और 31.08.2020 को इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा अपील के निपटारे के बाद किसी आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। यह किसी लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के लिए आवेदन नहीं है। न ही यह समय बढ़ाने के लिए आवेदन है। निपटान के आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए निपटान के बाद का आवेदन केवल दुर्लभ मामलों में ही होगा, जहां इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश निष्पादन प्रकृति का है और न्यायालय के निर्देशों को बाद की घटनाओं या विकास के कारण लागू करना असंभव हो सकता है। इस आवेदन की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि उस विवरण में फिट नहीं बैठती है।

21. हमारा ध्यान 14.12.2022 को पारित एक आदेश की ओर आकर्षित किया गया जिसमें एक समन्वय पीठ की प्रथम दृष्टया राय थी कि आवेदक पीपीए-2010 के अनुच्छेद 8.3.5 के अनुसार कम से कम 31.08.2020 से लेकर इस न्यायालय द्वारा अवमानना कार्यवाही में पारित आदेश के अनुसरण में वास्तविक भुगतान किए जाने तक एलपीएस का हकदार हो सकता है। यह प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण केवल वर्तमान आवेदन की सुनवाई के दौरान व्यक्त किया गया था। हमने इस मुद्दे की अधिक विस्तार से जांच की है। जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, आवेदक ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद समीक्षा के लिए कोई याचिका दायर नहीं की। दूसरी ओर, यह राजस्थान डिस्कॉम था जिसने समीक्षा याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया। आवेदक द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में एलपीएस के भुगतान से संबंधित प्रश्न उठाया गया था, लेकिन इस न्यायालय की पीठ ने पाया कि यह अवमानना कार्यवाही में प्रश्नगत विषय नहीं था जिसके संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इसलिए समन्वय पीठ ने अवमानना कार्यवाही में उस प्रश्न को संबोधित नहीं करने का फैसला किया। इस निर्णय में, हमने पहले ही 25.02.2022 और 19.04.2022 को अवमानना न्यायालय द्वारा एलपीएस के प्रश्न के संबंध में की गई टिप्पणियों को उद्धृत किया है। अवमानना न्यायालय द्वारा उस प्रश्न को खुला छोड़े जाने के बावजूद, हमारा विचार है कि उस मामले में मांग करने के लिए विविध आवेदन उचित कानूनी तरीका नहीं है। इस तरह की राहत विविध आवेदन में नहीं मांगी जा सकती है जिसे सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के रूप में वर्णित किया गया था।

22. जहां तक 14.12.2022 को वर्तमान कार्यवाही में पारित आदेश में की गई टिप्पणियों का संबंध है, वे केवल प्रथम दृष्टया चरण में की गई थीं और सुनवाई के चरण में उनका बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। इसके अलावा, यह सवाल कि क्या इस तरह की प्रार्थना एक ऐसे आवेदन में की जा सकती है जिसे "विविध आवेदन" के रूप में लेबल किया गया है, जो अपीलों के एक सेट के संबंध में लिया गया है, जिस पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने 14.12.2022 के आदेश को पारित करते समय विचार नहीं किया था। इस न्यायालय के आदेश में वर्तमान आवेदन की स्थिरता के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हमें यह भी नहीं लगता है कि उस चरण में स्थिरता का मुद्दा उठाया गया था। इस प्रकार, केवल ऐसी टिप्पणियों को बनाने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि इस न्यायालय ने ऐसे आवेदन को संधारण योग्य पाया है।

23. तदनुसार, हम वर्तमान आवेदन को खारिज करते हैं। यह आवेदन हमारे समक्ष कई बार सूचीबद्ध किया गया था और इस कारण से हम आवेदक पर 50,000/- रुपए का जुर्माना लगाते हैं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सहायता समिति को जमा करना होगा।

... .. न्यायाधीश

(अनिरुद्ध बोस)

... .. न्यायाधीश

(संजय कुमार)

नई दिल्ली

18 मार्च, 2024